न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या–11/2021

श्री भंवरसिंह पुत्र श्री लाडूसिंह, जाति रावत, निवासी चाट सरदारपुरा, ग्राम पंचायत राजगढ, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

.....*अपीलान्ट*

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....**रेस्पोन्डेन्ट**

2– झमरी पत्नि श्री लाडूसिंह
3– श्री भाणुसिंह पुत्र श्री लाडूसिंह
4– श्री कानसिंह
5– श्री प्रधानसिंह
6– श्री मथुरासिंह
पुत्र श्री नानूसिंह
7– सेठा देवी पत्नि श्री नानूसिंह
समस्त जाति रावत, निवासी चाट सरदारपुरा, ग्राम पंचायत राजगढ, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर

.....**प्रफोर्मा रेस्पो0**

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व

अधिनियम 1956

———

उपस्थित :

1– श्री राजेन्द्र सिंह रावत, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2– श्री खियासिंह रावत, प्रफोर्मा रेस्पो0 संख्या 2 से 7 की ओर से।
3– नायब तहसीलदार अजमेर (लीव रिजर्व) पैरोकार सरकार

–: आदेश :–

दिनांक–15.02.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील नसीराबाद के राजस्व ग्राम राजगढ के आराजी खसरा संख्या कुल किता 22 रकबा 15–02–00 बीघा भूमि के मूल खातेदार श्री लादू पुत्र श्री हीमता, जाति रावत, निवासी ग्राम राजगढ, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर की मृत्यु के पश्चात मृतक की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 25.06.1992 को तहसीलदार अजमेर/नसीराबाद द्वारा मु0 झमरी बेवा लादू, भाणू, अमरा व नानू पुत्रगण लादू जाति रावत, निवासी ग्राम राजगढ, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के पक्ष में स्वीकृत किया गया। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 25.06.1992 से क्षुब्ध होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मियाद के बिन्दु पर वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7 व पैरोकार सरकार द्वारा ऐतराज दर्ज नहीं करवाये जाने पर न्यायहित में धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

कर अपील पेश करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील गुणावगुण पर निर्णित करने का निश्चय किया गया।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि ग्राम चैनपुरा तहसील नसीराबाद स्थित आराजी कृषि भूमि वर्किंग खसरा संख्या क्रमशः 2037, 1987 व 2551 रकबा क्रमशः 0.1300, 0.0800 व 0.1700 है0 जिसके आधार खसरा संख्या क्रमशः 334, 367 व 1139 रकबा क्रमशः 0.1300, 0.0800 व 0.1700 है0 एवं ग्राम चाट सरदारपुरा तहसील नसीराबाद स्थित आराजी कृषि भूमि वर्किंग खसरा संख्या क्रमशः 1669, 1684, 1713, 1611, 1948, 1790 मि0, 1834, 1869 मि0, 1520 मि0, 1525, 1497 मि0, 1502 मि0, 1657, 1733, 1597, 1605, 1921, 1783, 1869 मि0, 1520 मि0, 1524, 1497 मि0, 1502 मि0 व 1515 रकबा क्रमशः 0.0800, 0.1900, 0.1200, 0.1100, 0.0200, 0.1500, 0.1000, 0.0700, 0.0200, 0.1000, 0.0400, 0.1600, 0.0900, 0.1100, 0.1200, 0.0700, 0.1000, 0.1000, 0.0400, 0.0300, 0.1000, 0.1400, 0.0200 व 0.1300 है0 जिसके आधार खसरा संख्या क्रमशः 1120, 1125, 1365, 1467, 1502, 1583, 1619, 1670, 703, 709, 722, 732, 1259, 1345, 1858, 1475, 1503, 1592, 1667, 702, 707, 724, 731 व 737 रकबा क्रमशः 0.0800, 0.1900, 0.1200, 0.1100, 0.0200, 0.1500, 0.1000, 0.0700, 0.0200, 0.1000, 0.0400, 0.1600, 0.0900, 0.1100, 0.1200, 0.0700, 0.1000, 0.1000, 0.0400, 0.0300, 0.1000, 0.1400, 0.0200 व 0.1300 है0 में अपीलान्ट व रेस्पो0 संख्या 2 से 7 संयुक्त खातेदार काश्तकार काबिज हैं। उक्त आराजियात अपीलान्ट की पैतृक आराजी है जो वर्किंग जमाबन्दी में श्री लाडूसिंह पुत्र श्री मोती के नाम दर्ज थी। इनकी मृत्यु पश्चात उक्त आराजियात का विरासत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आक्षेपीय नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया जिसमें अपीलान्ट का नाम विरासत के आधार पर अमरा पुत्र लाडू दर्ज हुआ। आक्षेपीय नामान्तरकरण के आधार पर ही वर्तमान प्रचलित आधार जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम अमरा पुत्र लाडू दर्ज है। विरासत के आधार पर अपीलान्ट का घर का नाम बोले जाने के कारण अमरा दर्ज कर दिया गया जो सरासर गलत है, जबकि अपीलान्ट का रेकॉर्डेड व सही नाम भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह है। उक्त भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह नाम सही होना अपीलान्ट के आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र से पुष्टि होती है एवं इस सम्बन्ध में अपीलान्ट द्वारा शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है। उक्त वर्णित आराजियात में अपीलान्ट का नाम अमरा पुत्र लाडू दर्ज है जो सही नहीं होकर गलत है। उपरोक्त दस्तावेज के आधार पर आक्षेपीय नामान्तकरण में नाम भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह किया जाना आवश्यक है। वकील अपीलान्ट का आगे कथन है कि अपीलान्ट को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष राशि 6000/- रूपये प्राप्त नहीं होने पर पटवारी हल्का से जानकारी करने पर रेकॉर्ड में नाम अमरा दर्ज होने की जानकारी हुई। अपीलान्ट के अपना नाम अमरा पुत्र लाडू के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह सही किये जाने से अन्य खातेदारों के हक व अधिकार पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्त में उन्होंने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर उक्त कृषि आराजियात में वर्णित अपीलान्ट का नाम अमरा पुत्र लाडू के स्थान पर भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस का समर्थन करते हुए वकील रेस्पो0 संख्या 2 से 7 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजियात का

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

विरासत के आधार पर स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण में अपीलान्ट का घर पर बोले जाने वाला नाम अमरा पुत्र लाडू दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार सही नाम भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह है। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकॉर्ड में सही नाम भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह दर्ज किया जाना न्यायसंगत है।

वकील अपीलान्टस द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में लायक पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित समस्त कथन झूठे एवं मनगढंत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा जारी वारिसान के सजरे के आधार पर बाद जांच सम्पूर्ण विधिवत प्रक्रिया अपनाकर स्वीकृत किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं होने से निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त वर्णित आराजियात के मूल खातेदार श्री लादू की मृत्यु के पश्चात मृतक की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 25.06.1992 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मु0 झमरी बेवा लादू, भाणू, अमरा व नानू पुत्रगण लादू जाति रावत, निवासीगण ग्राम राजगढ, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के पक्ष में स्वीकृत किया गया था। अपीलान्ट ने स्वयं को मृतक का वारिस बताते हुए अमरा पुत्र लाडू घर में बोले जाने के आधार पर अपना उक्त नाम आक्षेपित नामान्तरकरण में दर्ज होने का उल्लेख करते हुए सही नाम भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह होने के कथन अंकित किये हैं। अपने कथनों की पुष्टि में उन्होने आधार कार्ड, बैंक पास बुक, राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ग्राम पंचायत राजगढ द्वारा जारी सजरा प्रमाण पत्र की छायाप्रतियां एवं कथनों के समर्थन में अपना शपथ पत्र पेश किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण के सम्बन्ध में विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है एवं इस तथ्य की पूर्ण जांच किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

उपरोक्त दस्तावेजों एवं तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 25.06.1992 निरस्त किया जाकर अपील तहसीलदार नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे मृतक के विधिक वारिसान सम्बन्धी तथ्यों की राजस्व अभिलेख का अवलोकन व मिलान कर सम्पूर्ण जांच करें एवं जांच में अमरा पुत्र लाडू व भंवरसिंह पुत्र लाडूसिंह एक ही व्यक्ति होने के तथ्य की पुष्टि होने की स्थिति में तदनुसार नामान्तरकरण की कार्यवाही की जावे। सम्पूर्ण तथ्यों/दस्तावेज व राजस्व अभिलेख की जांच में अमरा व भंवरसिंह एक ही व्यक्ति होने पर यदि अधीनस्थ न्यायालय चाहे तो अमरा उर्फ भंवरसिंह नाम दर्ज करके भी नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सकती है। अन्यथा स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपीय नामान्तरकरण संख्या 498 दिनांक 25.06.1992 यथावत रहेगा। अतः अपीलान्ट को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विधि सम्मत आदेश पारित करें।

आदेश आज दिनांक 15.02.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

15/2

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर,
अजमेर

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
अजमेर